

भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत / Authority vide Government of India
कार्मिक मंत्रालय, पी जी एवं पेंशन विभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग पेंशन एवं पी जी नई दिल्ली
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions Departments of Personnel & Training, New Delhi,
आदेश संख्या ए-27012/02/2017-स्था(एल) 16 अगस्त, 2017
Order No.A-27012/02/2017-Estt.(AL) 16 August, 2017
(यह आदेश जुलाई 1, 2017 से प्रभावी होगा)
This order shall be effective from 1ST July . 2017

संस्थान एवं विधालय के प्रमुख द्वारा प्रमाण-पत्र (सं.शि.भ के प्रतिपूर्ति के लिए)
CERTIFICATE FROM THE HEAD OF HEAD OF INSTITUTION/SCHOOL (FOR REIBRUSMENT OF CEA)

संदर्भ सं/Ref No.

दिनांक/Date :

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....प्रवेश
सं.....जन्म तारीख.....पुत्र/पुत्रीश्री/श्रीमती.....कक्षा
मेंअनुभाग.....क्रमांक सं..... पिछले शैक्षणिक वर्षसे विधालय
/ संस्थान..... संबंधित पंजीकृत सं/कोड.....एवं पाठ्यक्रम
का माध्यम.....में अध्ययनरत था ।

It is certified that master/kumari.....having Admission
No.....D.O.B.....Son/Daughter of Mr/Mrs.....was
studying in class.....sec.....Roll No.....during the previous
academic year from.....to.....School/Institution, namely..... vide
affiliation regd.No./Code.....and pattern.....curriculum.

स्थान/Place -

दिनांक/Date -

प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर
Signature of Principal
(विधालय का मुहर लगाएँ)
(Affix School Stamp)